हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 171/2022 बअनवान लुम्भाराम वगैरा बनाम मंगलीदेवी वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नवनीत कुमार आर ए एस

आदेश

दिनांक 24.02.2025

उपस्थिति

1. अपीलांट की तरफ से अधिवक्ता श्री हुकमसिंह चौधरी
2. रेस्पोडेंटस की तरफ से अधिवक्ता श्री सरेशकुमार पूनड़

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि सेटलमेंट के ग्राम नागदड़ा तहसील शिव के खेत खसरा संख्या 435 रकवा 362.02 बीघा भूमि तुलछाराम के समय की पैतृक भूमि आई हुई है जिसमें देवाराम के वारिसान अपीलांटगण का 1/2 हिस्सा और लक्ष्मणाराम के वारिसान उतरदाता संख्या 01 से 15 का 1/2 हिस्सा खातेदारी में है। इसी प्रकार मौके पर काबिज होकर सेटलमेंट से पूर्व, वक्त सेटलमेंट व उसके पश्चात लगातार काश्त करते आ रहे हैं। पूर्वज तुलछाराम के दो पुत्र देवाराम और लक्ष्मणाराम थे जिसमें से देवाराम सेटलमेंट से पूर्व फौत हो गये थे। देवाराम के वारिस उसके इकलौते पुत्र भेराराम जो अपीलांटगण के पिता थे। वक्त सेटलमेंट नाबालिग थे। सेटलमेंट के समय लिछमणाराम खानदान के कर्ता व मुखिया थे। जो अपीलांटगण के पिता भेराराम के सगे चाचा थे, उक्त लिछमणाराम ने भेराराम की नाबालिगी का फायदा उठाकर सेटलमेंट वालों के साथ सजिश व मिलावट कर उक्त खसरे की भूमि में अपने स्वयं का 2/5 हिस्सा, अपने पुत्र बस्ताराम का 1/5 हिस्सा, अपने दूसरे पुत्र धारिया उर्फ धाराराम को केहराराम जो ला औलाद फौत हुआ, का गलत रूप से पुत्र बताकर गलत रूप से भी उसका 1/5 हिस्सा दर्ज करवा दिया और अपीलांटगण के पूर्वज भेराराम का 1/5 हिस्सा खातेदारी में दर्ज करवा दिया और अपने प्राकृतिक पुत्र धाराराम को गलत रूप से केहराराम का प्राकृतिक पुत्र बताया था और उक्त हिस्से गलत दर्ज करवाये गये थे। वास्तव में वक्त सेटलमेंट अपीलांटगण के पिता भेराराम का 1/2 हिस्सा खातेदारी में दर्ज होना चाहिये था और पिदमणाराम का व उसके सभी पुत्रों का 1/2 हिस्सा खातेदारी में दर्ज होना चाहिये था। इसलिए हस्तगत वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। मूल वाद

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

के संलग्न राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के तहत आवेदन पेश किया गया। जिसमें अस्थाई व्यादेश जारी नहीं करने के कारण अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.10.2022 के विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उभयपक्षकारान के हकों का निस्तारण मूल वाद के निस्तारण पर ही संभव है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश दस्जावेजात पर गौर किये बिना जल्दबाजी में पारित किया गया जो विधि की दृष्टि से दूषित है। अपीलांटगण अपीलाधीन आराजी का रिकॉर्डेड खातेदार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के सुस्थापित सिद्धातों व उच्च न्यायालयों द्वारा दिये गये अधिमतों के विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अपीलांट को रेस्पोडेंटगण अपीलाधीन आराजी से जबरन बेदखल करने हेतु प्रयासरत हैं तथा रेस्पोडेंटगण द्वारा अपीलांट के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप किया जा रहा है जिससे अपीलांटगण को भारी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में किया जाना सम्भव नहीं है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

रेस्पोडेंटस अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस के पक्ष में स्थगन आदेश पारित नहीं करने की वजह से अपीलांटस द्वारा अपील के जरिये प्रकरण को अनावश्यक चुनौती दी गई। उतरदातागण अपीलाधीन आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार हैं रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध स्थगन आदेश पारित किया जाना विधि सम्मत नहीं है। उत्तरदातागण अजनबी क्रेता खातेदार नहीं होकर अपीलांटस द्वारा वर्णित सजरे का हिस्सा है।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपीलाधीन आराजी पैतृक नहीं होकर वक्त सेटलमेंट से कब्जा काश्त के अनुसार उतरदातागण की खातेदारी भूमि है जिसमें अपीलांटस द्वारा गलत तरीके से दावा पेश कर जमीन हड़पने की नियत से अपील के जरिये उतरदातागण के विरूद्ध स्थगन प्राप्त करना चाहता है। राव द्वारा जारी वंशावली के अनुसार तुलछाराम व केहराराम दोनों ही रामाराम के पुत्र थे। केहराराम के कोई संतान नहीं होने के कारण संवत 2010 में धाराराम को केहराराम गोद लिया गया। इसलिए अपीलाधीन आराजी में वक्त सेटलमेंट जो हिस्से दर्ज हुए वो बिलकुल विधि सम्मत हैं। माननीय न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम स्थगन आदेश से उतरदाता को बाधित किया जाता है तो उतरदाता को अपूरणीय क्षति कारित होगी। प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन भी रेस्पोडेंटस के पक्ष में है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के प्रार्थना–पत्र में पारित अंतरिम आदेश के विरूद्ध पेश की गई। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उभयपक्षकारान के हकों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर ही संभव है। मूल दावे के विचारण में रहते अपीलाधीन आराजी को खुर्द बुर्द किया जाना न्यायोचित नहीं है। मामला प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के तीनों ही बिंदु अपीलांटगण के पक्ष में है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील स्वीकार करने योग्य ठहरती है। लिहाजा अपीलांटगण द्वारा पेश अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सहायक कलक्टर शिव के राजस्व आवेदन संख्या 176/2022 बउनवान लूम्भाराम वगैरा बनाम मंगलीदेवी वगैरा में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.10.2022 को अपास्त किया जाता है। हाजा न्यायालय पारित स्थगन आदेश दिनांक 11.11.2022 अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निस्तारण तक कंफर्म किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को आदेशित किया जाता है कि मूल आवेदन अंतर्गत धारा 212 का निस्तारण अधिकतम दो माह में करे। उभयपक्ष को पाबंद किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

06.03.2025 को उपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे। आदेश सरे इजलास दिनांक 24.02.2025 को सुनाया गया।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर